(3)

FORM NO. 123 पंजिका संख्या 123

(Order 24 Rule 7, Order 32 Rule 3) (आदेश 24 नियम 7, आदेश 32 नियम 3)

सहायक कलेक्टर एव उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी

ORDER SHEET आदेश पत्र

CNR NUMBER सी.एन.आर संख्या

...of के न्यायालय में सहायक कलेक्टर at एवं उपखण्ड अधिकारी बावड़ी

...f Case प्रकरण का प्रकार 111, 128 LR ACT

...er of Case प्रकरण की संख्या 08/2021 Year वर्ष

गेनाराम Versus बनाम सरकार

	Order with Initials of Presiding Officer पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर से आदेश	Brief Note of Compliance of the order आदेश की पालना का संक्षेप टिप्पणी
	2	3
	~~पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित~~ पत्रावली वास्ते मजीद बहस हेतु दिनांक 7/10/2022 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलेक्टर एव उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी	
...10/2022	पत्रावली पेश हुई। आज पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त / अवकाश पर होने से पत्रावली ईल्तुवा होकर दिनांक 14/10/2022 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
...10-2022	पत्रावली पेश हुई। आज पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त / अवकाश पर होने से पत्रावली ईल्तुवा होकर दिनांक 21.10.2022 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
21.10.2022	पत्रावली पेश हुई वकुलाय उपस्थित। पक्षकारान अधिवक्ताओं द्वारा आदेश 39 नियम 7 CPC व पक्षकारों प्रार्थना-पत्र पर पूर्व में बहस की जा चुकी है पुन: मजीद बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 07 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 CPC की पूर्व बहस के आधार पर उक्त प्रार्थना-पत्र एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया एवं पक्षकारान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन एवं (हस्ताक्षर)	

सहायक कलेक्टर एव उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी

ORDER SHEET (Subservient) आदेश पत्र (पश्चातवर्ती)

CNR NUMBER
सी.एन.आर संख्या

Number of Case प्रकरण की संख्या............ Year वर्ष............

............Versus बनाम............

Date दिनांक	Order with Initials of Presiding Officer पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर से आदेश
1	2.
	पक्षकारान् अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात् उक्त प्रार्थना-पत्र को स्वीकार करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 07 C.P.C. सपठित धारा 151 सी.पी.सी. खारिज किया जाता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू-राजस्व अधिनियम का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम नोन्दिया जाजड़ा तहसील-बावड़ी के खसरा नम्बर 155/2 रकबा 0.6472 हैक्टयर स्थित है उपरोक्त खातेदारी की कृषि भूमि की प्रस्तुत पैमाईश अनुसार पत्थरगढी करवाना चाहता है बिना पत्थरगढी के प्रार्थी के उक्त खेत खुले पड़े रहने के कारण आवारा पशु फसल को बर्बाद कर देते है। अप्रार्थीगण पड़ौसी खातेदार है तथा पड़ौसियो से भी सीमा को लेकर भविष्य में किसी प्रकार का विवाद नहीं हो इसलिए पत्थरगढी करवाना आवश्यक है अतः प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जावे एवं प्रार्थी का खेत खसरा नं. 155/2 की भूमि की प्रस्तुत पैमाईश रिपोर्ट अनुसार पत्थरगढी का आदेश फरमावें। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी

यूनिक ट्रेडर्स 51, एमजीएच रोड़, जोधपुर 262367

(4)

ORDER SHEET (Subservient) आदेश पत्र (पश्चातवर्ती)

CNR NUMBER
सी.एन.आर संख्या

No. of Case प्रकरण की संख्या Year वर्ष

Versus बनाम

Order with Initials of Presiding Officer पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर से आदेश	Brief Note of Compliance of the order आदेश की पालना का संक्षेप टिप्पण
2	3
अधिवक्ता श्री सोहनलाल चौधरी उपस्थित हुए एवं अपना वकालतनामा पेश किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा पश्चात गठी प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया गया एवं बताया गया कि प्रार्थी का खेत खसरा नम्बर 155/2 रकबा 0.6472 हैक्टेयर है जिसके चारों तरफ पत्थर की पट्टीयां रोपकर कोटों के तार एवं तारबंदी की हुई है तथा चारों ओर पुराना धोरा पाली किया हुआ है तथा अप्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा नं. 159 के भी चारों तरफ पुरानी मेड़ बन्दी कायम की हुई है प्रार्थी के खेत के मेड़ के सहारे सहारे पुराने वृक्ष खड़े है जिससे स्पष्ट प्रार्थी का कब्जा साबित होता है लेकिन प्रार्थी ने तत्कालीन हल्का पटवारी एवं आर. आई से मिली भगत कर अपनी कृषि भूमि से वास्तविक कब्जे काश्त से हटकर तरमीम दर्शाई है। जो गलत है प्रार्थी ने जिस जगह नक्शे अनुसार तरमीम के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है उक्त भूमि पर अप्रार्थीगणों का पुश्तैनी बाड़ा आया हुआ है जो अप्रार्थीगणों के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग मे है प्रार्थी के भूमि एवं डामर सड़क के बीच अप्रार्थीगणों का बाड़ा आया हुआ है जिस	

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी

ORDER SHEET (Subservient) आदेश पत्र (पश्चातवर्ती)

CNR NUMBER
सी.एन.आर संख्या

Number of Case प्रकरण की संख्या .... Year वर्ष ....

.... Versus बनाम ....

Date दिनांक	Order with Initials of Presiding Officer पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर से आदेश
1	2
	पर पीढ़ियों से अप्रार्थीगणों का कब्जा काश्त है प्रार्थी का वर्तमान कब्जा काश्त ऑनलाईन नक्शे को गुगल मैप से मिलान करने पर स्पष्ट रूप से प्रार्थी के खेत व डामर सड़क के मध्य लगभग 2.10 बीघा भूमि का बाड़ा अप्रार्थीगणों का बना हुआ है जिसके अन्दर अप्रार्थीगणों के पुराने पत्थर पड़े है चारों ओर धोरा पाली लगा हुआ है तथा प्राचीन वृक्ष खड़े है तथा अप्रार्थीगणों के निराबाद रूप उपयोग - उपभोग है प्रार्थी का वर्तमान ऑनलाईन गलत नक्शे के अनुसार कब्जा-काश्त मौके पर नहीं है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र खारिज फरमावें। प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष विधि के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है धारा 111, 128 LR Act की परिभाषा के अनुरूप नहीं होकर उक्त प्रकरण धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार कब्जे से बेदखली की कार्यवाही करने पर ही भौतिक कब्जा दिलाकर पत्थरगढ़ी की जा सकती है अन्यथा उक्त प्रार्थना-पत्र कब्जे के अभाव में खारिज योग्य होने से खारिज फरमाया जावें। अतः अप्रार्थीगणों की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना-पत्र

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ...

(8)

FORM NO. 123 पंजिका संख्या 123

(Order 24 Rule 7, Order 32 Rule 3) (आदेश 24 नियम 7, आदेश 32 नियम 3)

ORDER SHEET आदेश पत्र

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी

CNR NUMBER सी.एन.आर संख्या

of के न्यायालय में सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बावड़ी

of Case प्रकरण का प्रकार 111, 128 LR ACT

Number of Case प्रकरण की संख्या 08/2021 Year वर्ष

Versus बनाम

Order with Initials of Presiding Officer पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर से आदेश	Brief Note of Compliance of the order आदेश की पालना का संक्षेप टिप्पण
2	3
को स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी गैनाराम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 LR ACT को विधि द्वारा निषेध होने से पोषणीय नहीं होने से खारिज फरमाया जावें। पक्षकारान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में बताया गया कि प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए मौका रिपोर्ट अनुसार पत्थरगढ़ी करवायी जावें। अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र को अस्वीकार करते हुए जवाब प्रार्थना-पत्र अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र पत्थरगढ़ी का खारिज करने का निवेदन करते हुए बताया गया कि पत्थरगढ़ी हेतु परमिशन आवश्यक है। प्रार्थी को 4 बीघा भूमि आवंटन है जिस जगह आवंटन वहां प्रार्थी का कब्जा है मुख्य डामर सड़क पर गलत तरमीम की आड़ में अगर कब्जा है तो अप्रार्थी को काश्तकार क्यों बनाया। सरकार नियमानुसार चाहे तो बेदखल करें। अप्रार्थी का मौके पर	

(signature)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी

उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

ORDER SHEET (Subservient) आदेश पत्र (पश्चात्वर्ती)

CNR NUMBER
सी.एन.आर संख्या

Number of Case प्रकरण की संख्या .... Year वर्ष ....

.... Versus बनाम ....

Date दिनांक	Order with Initials of Presiding Officer पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर से आदेश
1	2
	बड़ा है प्रार्थी के खेत के चारों ओर मेड़ तारबन्दी की हुई है अप्रार्थी का मौके पर कब्जा है कब्जे के अभाव में पत्थरगढ़ी नहीं की जा सकती है अत: प्रार्थी का पत्थरगढ़ी का प्रार्थना-पत्र खारिज फरमाया जावे। पत्रावली का आनपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली में मौका रिपोर्ट सीमांकन में अप्रार्थीगण के किसी भी व्यक्ति के हस्ताक्षर नहीं है न ही अंगूठे के निशान है। वक्त पैमाईश पड़ौसी खातेदार मौके पर उपस्थित हो, ऐसा फर्द सीमांकन रिपोर्ट से प्रतीत नहीं होता। अप्रार्थीगण के जवाब प्रार्थना-पत्र के साथ मौका स्थल के फोटो का भी अवलोकन किया गया। जिसमें प्रार्थी के खेत के चारों ओर मेड़-बन्दी तारबंदी की हुई है मौके पर पत्थर आदि दिखाई दे रहे है अप्रार्थीगण के जवाब में वर्णित तथ्यों यथा पैमाईश रिपोर्ट व ऑनलाईन नक्शे अनुसार एवं फोटोग्राफ्स के आधार पर प्रार्थी के खेत व रोड के मध्य पत्थर आदि डालकर अप्रार्थीगण का कब्जा

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी

यूनिक ट्रेडर्स 51, एमजीएच रोड, जोधपुर 2623

ORDER SHEET (Subservient) आदेश पत्र (पश्चात्वर्ती)

(6)

CNR NUMBER
सी.एन.आर संख्या

Case प्रकरण की संख्या .... Year वर्ष ....

.... Versus बनाम ....

Order with Initials of Presiding Officer पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर से आदेश	Brief Note of Compliance of the order आदेश की पालना का संक्षेप टिप्पण
2	3
है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत धारा 183 का प्रकरण है। उक्त तथ्यों का खंडन प्रार्थी वकील द्वारा नहीं किया गया है। साथ ही प्रार्थी वकील द्वारा अपने खेत खसरा संख्या 155/2 के चारों तरफ के पड़ौसी खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया है नक्शा ट्रेस अनुसार अप्रार्थी का खेत खसरा 159 प्रार्थी के खेत खसरा सं. 155/2 से कहीं भी सम्पर्क में नहीं लगता फिर भी केवल अप्रार्थीगण को पक्षकार क्यों बनाया है स्पष्ट नहीं है। अतः उपरोक्त प्रकरण में विवेचन एवं विश्लेषण उपरान्त प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली नियम अनुसार हो कर दाखिल दफ्तर हो। (signature) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी	

मुनिक ट्रेडर्स 51, एमजीएच रोड, जोधपुर 2623675, 2615421